न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 56/2025 दायर दिनाँक 10.02.2025

वादी		प्रतिवादी
1. खान मोहम्मद पुत्र हुसैन खान जाति कायमखानी निवासी बावडी तहसील मौलासर जिला डीडवाना – कुचामन	बनाम्	1. तहसीलदार मौलासर।

राजस्व–वाद बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री मनफूल खां खिलेरी वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 16.07.2025

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी की कृषि भूमि खेत खसरा सं0 138 रकबा 1.6600 है. खसरा संख्या 139 रकबा 0.1000 है., खसरा संख्या 140 रकबा 0.0200 है. खसरा संख्या 141 रकबा 1.1400 है. खसरा संख्या 142 रकबा 2.2000 है. खसरा संख्या 143 रकबा 0.5800 है. खसरा संख्या 144 रकबा 0.1900 है.खसरा संख्या 145 रकबा 0.0200 है. खसरा संख्या 146 रकबा 0.2100 है. खसरा संख्या 147 रकबा 0.0100 है. खसरा संख्या 148 रकबा 4.6700 है. कुल खसरा संख्या 11 कुल रकबा 10.8000 है. वाके सरहद बावडी पटवार हल्का रसीदपुरा भू0 अभि0 नि0 मौलासर तहसील मौलासर में अवस्थित है। जो वादी की संयुक्त खातेदारी व हक अधिकार व कब्जे काश्त में है।

उक्त भूमि में राजस्व कर्मचारियों की भूल/सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम भवरूखां दर्ज कर दिया जबकि वादी के दस्तावेजों में वास्तविक नाम खान मोहम्मद है जो सही एवं सत्य है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

सरहद बावडी के खेत खसरा संख्या 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 में वादी का नाम भवरूखां के स्थान पर खान मोहम्मद अर्थात खान मोहम्मद पुत्र हुसैन खान राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मौलासर के पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/153 दिनांक 24.02.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार मौलासर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार सरहद बावडी के खेत खसरा संख्या 138 से 148 में वादी का नाम खान मोहम्मद पुत्र हुसैन खान है। राजस्व रेकर्ड में भंवरू खां पुत्र हुसैन खां दर्ज है। अतः दोनो व्यक्ति एक ही है एवं राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती किया जाना उचित है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत रसीदपुरा का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, जाति प्रमाण पत्र की प्रति, अधार कार्ड, बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड, पास पोर्ट, राशन कार्ड आदि की प्रतियां पेश की।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वादी का नाम भवरूखां के स्थान पर खान मोहम्मद अर्थात खान मोहम्मद पुत्र हुसैन खान राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया सरहद बावडी के खेत खसरा संख्या 138 से 148 में वादी का नाम भंवरू खां पुत्र हुसैन खां के स्थान पर खान मोहम्मद पुत्र हुसैन खान दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट के अनुसार सरहद बावडी के खेत खसरा संख्या 138 से 148 में वादी का नाम खान मोहम्मद पुत्र हुसैन खान है। राजस्व रेकर्ड में भंवरू खां पुत्र हुसैन खां दर्ज है। अतः दोनो व्यक्ति एक ही है एवं राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती किया जाना उचित है। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 16:06:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

पक्षकारान सहमत है। अतः तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

सरहद बावडी के खेत खसरा संख्या 138 से 148 में वादी का नाम भंवरू खां पुत्र हुसैन खां के स्थान पर भंवरू खां उर्फ खान मोहम्मद पुत्र हुसैन खान बाबत वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 16.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:06:15 IST
Reason: SelfAttested